UPAD010074282026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–21, प्रयागराज
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2738/2026

मो0 सादाब, पुत्र हाकिम, निवासी बलीपुर उस्मापुर, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज
....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.....अभियोजक

अपराध संख्या 136/2023
धारा 376,504,506,313 भा0दं0सं0
थाना उतरांव, जिला प्रयागराज।

दिनांक 28.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त मो0 सादाब की ओर से अपराध संख्या 136/2023, अंतर्गत धारा 376,504,506,313 भा0दं0सं0, थाना उतरांव, जिला प्रयागराज के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित हैं। शपथ पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है, न ही निरस्त हुआ है।

2. सक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी/पीडिता की सगाई दिनाक 20.07.2021 को प्रतिवादी सं0–1 से बड़े धूम धाम और खुशी के साथ सम्पन्न हुआ था। सगाई के बाद विपक्षी सं0–1 प्रार्थिनी के घर आने जाने लगा था और फोन पर भी बात करने लगे और प्रार्थिनी के उपर अक्सर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगा। दिनांक 23.10. 2021 को विपक्षी प्रार्थिनी के घर आया और शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर किया और धमकी दिया कि अगर आज शारीरिक सम्बन्ध नही बनाती हो तो बिना एक बुलट के विवाह नही करूंगा और शादी तोड देगे और बदनामी होगी, शारीरिक सम्बन्ध बनाया लेकिन यह सिलसिला विपक्षी लगातार डेढ साल से कर रहा है। विपक्षी जब मन आता घर आकर प्रार्थिनी के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। उक्त बात जब प्रार्थिनी के पिता द्वारा विपक्षी के पिता को बताया गया तो विपक्षी के पिता ने कहा कि चलो सगाई हो गयी है, शादी भी करवा देगें। विपक्षी प्रार्थिनी से गंदी गंदी मैसेज करता और उसका गंदी वीडियो बनाया और गंदी वीडियो बनाने के बाद अब शादी करने से मना कर रहा है और धमकी दे रहा है कि इस बाबत कही प्रार्थना पत्र दिया तो वीडियो वायरल कर दूँगा। विपक्षी प्रार्थिनी को मैसेज में कहा कि मैं तुम्हारे बिना नही रह सकता हूँ। विपक्षी के पिता ने विपक्षी को बाहर भेज दिया और सगाई का पैसा वापस करने व विपक्षी की दूसरी जगह शादी करने

की बात कर रहे है और गाली देते हुए जान से मार देने की धमकी दे रहे है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने घटना को 2023 की घटना कहा है और 161 के बयान मे पीड़िता ने घटना की तिथि व समय न बताकर सन् 2016 कथित है, दोनों बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट व महिला कांस्टेबल द्वारा महिला का बयान लिया गया है। उसमें विरोधाभाष है, जिसके कारण प्रार्थी के विरूद्ध यदि 161 सी०आर०पी०सी को पठित कर किया जाय तो आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध न तो गाली देने का कोई आरोप और न ही बलात्कार करने का आरोप बनता है। पीडिता सिगरेट के साथ स्मैक की आदी थी, जिसकी फुटेज मोबाइल पर देखा गया हैं जिसकी वजह से आवेदक/अभियुक्त के निकाह करने से इन्कार करने पर पीड़िता ने कई तरह के मैसेज में भद्दी–भद्दी गाली दी व परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। पीड़िता ने डॉक्टर को बताया वहां घटना की एक अलग कहानी आ गयी, जिसमें घटना को पूरे बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट की 161, 164 सी०आर०पी०सी० व डाक्टरी बयान व तीनो तथ्यों को देखा जाय तो पीड़िता मो० सादाब को पाने के लिये (निकाह करने के लिये) हर तरीका व हथकंडा अपनाकर व फर्जी मुकदमा में फंसाने के लिये फर्जी बयान दिया। ऐसी परिस्थितियों को आवेदक/अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है तो समाज में घोर अराजकता फैल जायेगी, जो कि न्याय नहीं हो सकेगा। आवेदक/अभियुक्त विपक्षी द्वारा प्रथम सूचना लिखवाने के पहले ही दिनांक 23.03.2022 को विदेश चला गया था, जिससे आवेदक/अभियुक्त को घटना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं था, इसलिए आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि घटना के समय बीजा पर विदेश था, कथित घटना के समय भारत में नहीं था। पीड़िता ने जानबूझकर आवेदक/अभियुक्त को छोड़कर एक तीसरे लड़के के साथ दिनांक 12.02.2025 को निकाह कर ली। पीड़िता का जो डाक्टरी मुआयना हुआ, उसमें पीड़िता को शरीर पर आन्तरिक व बाह्य परीक्षण में कोई चोट नहीं पायी गयी, और न ही पीड़िता का बयान घटना का सपोर्ट किया है। ऐसी परिस्थति में प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जो थाना हाजा में रिपोर्ट आयी उससे घटना को कथित होना नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय विधि व्यवस्था प्रियंका बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के अनुपालन में इस घटना की जांच उच्च अधिकारियों से नहीं कराया गया। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रश्नचिन्ह का द्योतक है। आवेदक/अभियुक्त के प्रकरण में सहअभियुक्त हाकिम, सदरूनिशा, मुस्ताक, मेराज की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध घटना के समय प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र पर कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं था। घटना के कई महीने बाद मेडिकल करायी गयी है, जब घटना के 72 घण्टे तक कोई तथ्य सामने आ सकता है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आवेदक/अभियुक्त को भय/आशंका है कि आवेदक/

अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तार कर उसके मान सम्मान को ठेस व चोट पहुंचाया जा सकता है। जिससे प्रार्थी का 21 आर्टिकल अनुच्छेद संविधान का हनन होगा। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही आवेदक/अभियुक्त को किसी भी अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई चिकित्सकीय आख्या उपलब्ध नहीं है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. पीडित के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (**फौजदारी**) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दबाव बनाकर शारीरिक संबंध स्थापित किये गये तथा पीड़िता के गर्भवती होने पर बिना सक्षम चिकित्सीय परामर्श के उसका गर्भपात कराया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.08.2025 का अनुपालन भी नही किया गया। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया गया।

6. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से प्रकट होता है कि उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं.पंजीकृत की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 23.10.2021 को आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ यह धमकी देते हुए शारीरिक संबंध बनाया कि यदि वह अभियुक्त से शारीरिक संबंध नही बनायेगी तो वह बिना बुलेट लिए विवाह नही करेगा और फिर धमकी दिया कि शारीरिक संबंध नही बनाओगी तो शादी तोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त पर पीड़िता के पास गंदे मैसेज करना और वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप भी लगाया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के साथ जान पहचान थी तथा पीड़िता व आवेदक/अभियुक्त का रिश्ता तय होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर गर्भपात के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र नही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.डब्लू.पी. नं0 17960/2025 के मामले में पारित आदेश दिनांकित 29.8.2025 के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को तीन माह की अवधि के अंदर मिडियेशन सेंटर में पचास हजार रूपये जमा कराकर मिडियेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया गया था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.3.2022 को विदेश चला गया था तथा वह दिनांक 02.07.2026 को वापस भारत आया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता से बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई शारीरिक संबंध स्थापित नही किया गया। प्रस्तुत मामले की समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के विचार में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य प्रतीत नही होता क्योंकि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाना

दर्शित होता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन भी नही किया गया। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मो0 सादाब** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(जयेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–21 प्रयागराज
J.O.Code No-UP3836